

एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए टैक्सी सेवाएं किराए पर लेने के लिए एजेंसी की पैलबद्धता हेतु संदर्भ की शर्तें (टीओआर)

दिनांक: **20.07.2022**

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है और सरकारी उपयोग के लिए टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए एजेंसियों की पैलबद्धता हेतु प्रक्रिया में है। एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य भी विभिन्न सेवाओं को किराए पर लेने के लिए सरकारी जेम पोर्टल पर पंजीकृत है। वेंडर जो सरकारी जेम पोर्टल के साथ पंजीकृत हैं, वे भी पैलबद्धता में शामिल होने के पात्र हैं और तदनुसार निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

1. **दो बोली प्रणाली के तहत मुहरबंद निविदाओं का आमंत्रण:** नवी मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य में एपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए टैक्सियों को किराए पर लेने के लिए नवी मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य से पंजीकृत एजेंसियों / सेवा प्रदाताओं से मुहरबंद बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। वाहनों की आवश्यकता का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	आवश्यकता का विवरण	वाहनों की संख्या	टैक्सी की श्रेणी
1	टैक्सियों की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता	आवश्यकतानुसार। वेंडर को समय-समय पर एपीडा की आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में टैक्सियाँ उपलब्ध कराने के लिए सक्षम होना चाहिए।	मारुति डिजायर / इनोवा / फोर्ड/ होंडा अमेज या समकक्ष कारों के लिए

2. **बोली जमा करने की अंतिम तिथि:** तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार है:

1	एपीडा कार्यालय में बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय।	03 अगस्त, 2022, सायं 4.00 बजे तक
2	जमा की जाने वाली बोली	श्री आर. रवींद्र, उप महाप्रबंधक (क्षेत्रीय प्रभारी), एपीडा, चौथी मंजिल, यूनिट नं. 3 और 4, बैंकिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नंबर II, सेक्टर 19/ए, वाशी, न्यू मुंबई - 400 705
3	बोलियां खोलने की तिथि व समय	04 अगस्त, 2022, 2.30 बजे तक यदि वांछित हो तो फर्मा/एजेंसियों के प्रतिनिधि अनुसूची के अनुसार बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस संबंध में कोई अलग से आमंत्रण/सूचना जारी नहीं की जाएगी।

यदि बोली जमा करने की निर्दिष्ट तिथि पर कार्यालय अवकाश या कार्यालय बंद करने की घोषणा की जाती है तो बोलियां कार्यालय में निर्धारित समय यानी अगले कार्य दिवस सायं 4.00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी।

3 दो बोली प्रणाली: बोली को मुहरबंद लिफाफे में दो भागों में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा:

क. तकनीकी बोली:-

- i. तकनीकी बोली केवल अनुलग्नक I में दिए गए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ii. तकनीकी बोली को अगले पृष्ठ के खंड सं. 4.0 में उल्लिखित पात्रता मानदंड की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।
- iii. परिकल्पित/सशर्त अपूर्ण तकनीकी बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें उचित रूप से खारिज कर दिया जाएगा।
- iv. तकनीकी बोली पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
- v. अनुलग्नक-I में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में तकनीकी बोली को "टैक्सी की आपूर्ति के लिए तकनीकी बोली" के रूप में लिखा जाना चाहिए।

ख. वित्तीय बोली:

- i. वित्तीय बोली अनुलग्नक-II में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- ii. वित्तीय बोली के कवर/लिफाफे के ऊपर "टैक्सी की आपूर्ति के लिए वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए।
- iii. बोलीदाताओं को अपनी बिना शर्त दरों को अनुलग्नक-II में निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूरी तरह से उद्धृत करना चाहिए। कटिंग/ओवरराइडिंग, यदि कोई हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत क्रमांकित, मुहर और हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- iv. जीएसटी/करों का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।

4 पात्रता मानदंड:

क्र. सं.	अपेक्षित सूचना व दस्तावेजों का विवरण	एपीडा द्वारा निर्धारित मानदंड
1.	<p>फर्म के नाम पर या कंपनी के नाम पर पंजीकृत वाहनों की न्यूनतम संख्या जिसके साथ उनका वाहनों की आपूर्ति के लिए औपचारिक अनुबंध है (100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत)</p> <p>कंपनी/फर्म के नाम पर टैक्सी/कारों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आरसी) की असल प्रतियां अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत स्व-प्रमाणित और मुहर लगाई सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p>	<p>न्यूनतम 05 (पांच) टैक्सियां अनिवार्य हैं। हालांकि, विक्रेता को समय-समय पर एपीडा की आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में टैक्सियां उपलब्ध कराने के लिए सक्षम होना चाहिए।</p>
2.	<p>कम से कम 5 साल पुरानी फर्म।</p> <p>[1 की स्व-प्रमाणित प्रतियां जमा करें] सत्यापन के लिए फर्म की पंजीकरण/पैन या कोई अन्य सरकारी दस्तावेजी प्रमाण]</p>	अनिवार्य
3.	<p>जीएसटी पंजीकरण</p> <p>[जीएसटी प्रमाण पत्र की असल प्रति विधिवत स्व प्रमाणित और अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाई जानी चाहिए।]</p>	अनिवार्य

4.	स्थायी खाता संख्या [पैन] [फर्म पैन की सही प्रति विधिवत स्वप्रमाणित और अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहर लगाई जानी चाहिए।]	अनिवार्य
5.	ब्याज रहित बयाना जमा राशि (ईएमडी) [ईएमडी मुम्बई में आहरित "एपीडा" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए।]	50,000.00 रु. [ब्याज रहित]
6.	फर्म/कंपनी की कंपनी प्रोफाइल (फर्म/कंपनी द्वारा की जा रही प्रासंगिक गतिविधियों के क्षेत्र में एक आलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म इस संबंध में कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज भी जमा कर सकती है।)	अनिवार्य
7.	ग्राहकों की सूची ग्राहकों की सूची अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत स्वप्रमाणित और स्टाम्प प्रस्तुत की जा सकती है।	अनिवार्य
8.	बैंकर का विवरण [बैंक का नाम/शाखा का पता/खाताधारक का नाम/खाता संख्या/सीए या एसबी बैंक खाता/आईएफएससी कोड संख्या] एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा सौंपे गए कार्य हेतु पैनल में शामिल होने के बाद आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन भगतान करने के लिए।	अनिवार्य
9.	गैर-ब्लैक लिस्टिंग का स्व प्रमाण-पत्र [संगठन/कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन कि इसे किसी भी सरकारी संगठन/विभाग द्वारा फर्म के मुद्रित लेटर हेड पर कभी भी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।]	अनिवार्य
10.	आयकर रिटर्न (आईटीआर) [पिछले 3 वर्षों के आईटीआर की असल प्रति अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत स्व-प्रमाणित और मुहर लगाई जानी चाहिए]	2019-20 रु. 2020-21 रु. 2020-21 रु.
11.	पिछले 03 वर्षों से फर्म का टर्नओवर। <ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम टर्नओवर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए। मान्यता-प्राप्त सीए से तुलन-पत्र और सीए प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियों को फर्म के पिछले तीन वर्षों के टर्न ओवर को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सीए प्रमाण पत्र मूल रूप में सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण होना चाहिए। 	2019-20 रु. 2020-21 रु. 2020-21 रु.
12.	संबंधित क्षेत्र/सेवा/क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव।	अनिवार्य

	<ul style="list-style-type: none"> • फर्म के पास केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/कॉर्पोरेट कार्यालय/प्रतिष्ठित निजी कंपनियों आदि के विभिन्न कार्यालयों में लागू संबंधित क्षेत्र/सेवा में न्यूनतम पांच वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। • संबंधित संगठन द्वारा दी गई संतोषजनक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट के साथ पिछले 5 वर्षों के कम से कम 05 (पांच) कार्य आदेश संलग्न करें। 	
13.	अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद फर्मों/कंपनियों के लेटर हेड पर कवरिंग लेटर।	फर्मों/कंपनियों के मुद्रित लेटर हेड पर बोली के साथ एक कवरिंग लेटर प्रदान किया जाना चाहिए और अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
14.	<p>बोली के कवर पर निम्न लिखा जाना चाहिए:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुहरबंद कवर संख्या एक - " एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुम्बई, महाराष्ट्र को गैर-एसी/एसी टैक्सी की आपूर्ति के लिए तकनीकी बोली"। 2. मुहरबंद कवर संख्या दो - " एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र को गैर-एसी/एसी टैक्सी की आपूर्ति के लिए वित्तीय बोली"। 3. तकनीकी और वित्तीय बोलियों वाला मुहरबंद मास्टर कवर - "एपीडा क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुम्बई, महाराष्ट्र को गैर-एसी/एसी टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोली"। <p>मास्टर कवर सहित तकनीकी और वित्तीय बोलियों के लिए बोली और उसके कवर को मुहरबंद किया जाना चाहिए और दिशानिर्देशों के अनुसार उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए।</p>	अनिवार्य

5. बयाना जमा राशि (ईएमडी)

5.1 नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में देय "एपीडा" के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत / वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / बैंकर चेक के रूप में 50,000 रु. (पचास हजार रुपये मात्र) की ईएमडी बोली के साथ जमा की जानी चाहिए। ईएमडी के बिना और किसी अन्य रूप में बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5.2 ईएमडी बिना ब्याज के होगी और निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुम्बई, महाराष्ट्र के साथ धारण की अवधि के दौरान कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5.3 ईएमडी अंतिम निविदा वैधता अवधि के बाद कम से कम 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।

5.4 बोलीदाता की ईएमडी जब्त कर ली जाएगी, यदि बोलीदाता अपनी बोली वापस लेता है या संशोधित करता है या अपनी बोली की वैधता अवधि के भीतर किसी भी तरह से बोली कम करता है। इसके अतिरिक्त, यदि सफल बोलीदाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर **50,000 रु. (पचास हजार रुपये मात्र) की अपेक्षित कार्य-निष्पादन प्रतिभूति** प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

5.5 ईएमडी बोलीदाता से कार्य-निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर और सफल बोलीदाताओं को अनुबंध प्रदान करने और निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी असफल बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

6. कार्य-निष्पादन प्रतिभूति:

6.1. सफल बोलीदाता द्वारा पंजीकरण की स्थिति आदि पर ध्यान दिए बिना , अनुबंध प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को "एपीडा", नवी मुम्बई , महाराष्ट्र के पक्ष में एक वाणिज्यिक बैंक से फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद/बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

6.2. कार्य-निष्पादन प्रतिभूति, आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि या एक वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए मान्य रहेगी।

6.3. सभी प्रकार से अनुबंध के संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद, वेंडर को बिना किसी ब्याज के, जो भी हो, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी।।

6.4. यदि फर्म अनुबंध के किसी भी नियम या शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है, तो कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा, इसके अतिरिक्त इसे ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।

6.5. यदि कोई बोलीदाता पहले से ही केंद्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को टैक्सी उपलब्ध करा रहा है तो उसका विवरण भी बोलियों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7. तकनीकी बोली में निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

7.1 अनुबंधकर्ता के पास सरकारी / अर्ध-सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वाहन उपलब्ध कराने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ संबंधित संगठन/विभाग से संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं माना जाएगा।

7.2. पैन और जीएसटी नंबर की स्व-प्रमाणित प्रतियां और नवीनतम आयकर विवरणी/सेवा कर प्रमाण पत्र की प्रति बोली के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7.3. बोलीदाता द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह उल्लिखित हो कि सभी नियम और शर्तें उसे स्वीकार्य हैं।

7.4. 50000/- रूपए (पचास हजार रुपये मात्र) की ईएमडी।

7.5. ट्रांसपोर्ट कंपनी / फर्म के नाम पर पंजीकृत पूरे वाहन की आरसी की प्रतियां।

7.6. बोलीदाता के पास कम से कम 05 वाहनों का स्वामित्व होना चाहिए। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि आप ऊपर दिए गए निर्देशों और नीचे दिए गए नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और बिना किसी विचलन के नियम और शर्तों को स्वीकृत करने की पुष्टि प्रस्तुत करें। यदि निविदा के नियमों और शर्तों से कोई विचलन होता है तो उन्हें तकनीकी बोली में स्पष्ट रूप से विचार के लिए इंगित किया जा सकता है।

8. अन्य नियम एवं शर्तें:

8.1 **जोखिम किराया खंड:-** यदि अनुबंध पर फर्म अपेक्षित संख्या में वाहनों की आपूर्ति करने में विफल रहता है , तो यह कार्यालय , फर्म के जोखिम और लागत पर अन्य टैक्सी स्टैंड से टैक्सी किराए पर लेने का अधिकार

सुरक्षित रखता है। इस स्थिति में फर्म से वैकल्पिक व्यवस्था और निविदा मूल्य के बीच लागत अंतर को समान रूप से वसूल किया जाएगा।

8.2 यदि अनुबंधकर्ता बोली जमा करने और उसकी उचित स्वीकृति के बाद अर्थात अनुबंध मिलने के बाद, इन निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, या अपनी अनुबंध अवधि को पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी समय अनुबंध को अस्वीकार करता है, तो एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी या कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को ज़ब्त करने का अधिकार रखता है।

8.3 फर्म द्वारा उपलब्ध किए गए वाहनों को टैक्सियों के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाए और नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में यात्रा करने वाले क्षेत्रों की उचित अनुमति प्राप्त हो तथा ये वाहन 4 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होने चाहिए।

8.4 अनुबंधकर्ता को शॉर्ट नोटिस पर / (30 मिनट के भीतर) गैर एसी टैक्सी उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।

8.5 टैक्सियों में लगे ड्राइवरों के पास टैक्सी चलाने के लिए मान्य ड्राइविंग कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी फर्म/सेवा प्रदाता को अपने खर्च पर ड्राइवरों का पुलिस वैरिफिकेशन करवाना होगा और कार्यालय में उसे जमा करना होगा। सभी वाहनों के अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे रोड टैक्स क्लियरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि मौजूद हों। सेवा प्रदाता को महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एमवीआर/0315/सीआर109/टीआरए-2 दिनांक 04.03.2017 द्वारा बनाए गए महाराष्ट्र सिटी टैक्सी नियम 2017 में सभी प्रावधानों की पुष्टि करनी चाहिए।

8.6 ड्राइवर हमेशा वर्दी में हो, उन्हें एजेंसी द्वारा मोबाइल फोन प्रदान किए जाएं और ड्राइवर द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाए।

8.7 ड्राइवर को मोटे तौर पर नवी मुम्बई, महाराष्ट्र के प्रमुख मार्गों के बारे में पता होना चाहिए।

8.8 ड्यूटी पर जाने वाले वाहनों को साफ-सुथरा रखा जाए। प्रदान किए गए वाहन की सामान्य स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सीट आरामदायक हो। सीटों को हमेशा साफ और अच्छी गुणवत्ता वाले सीट कवर से ढका जाए। यदि वाहन गंदी या जर्जर स्थिति में पाया जाता है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

8.9 यात्रा के दौरान किसी प्रकार की खराबी की स्थिति में अनुबंधकर्ता को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, ऐसा न करने पर टैक्सी को खुले बाजार से किराए पर लिया जाएगा और उस पर होने वाले खर्च को अनुबंधकर्ता के मासिक बिल से काट लिया जाएगा।

8.10 एपीडा के पास अनुबंधकर्ता को एक कैलेंडर माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.11 दण्ड परिच्छेद: अनुबंधकर्ता द्वारा एपीडा की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार किसी भी समय कार्य को निष्पादित करने में विफल रहने में, अर्थात किराए के आधार पर टैक्सियों की आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के पास अनुबंध को रद्द करने अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से अनुबंधकर्ता के भुगतान को रोकने और जमा की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति को ज़ब्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

8.12 बिलिंग, गैराज/टैक्सी स्टैंड या निर्धारित स्थान से शुरू और वहीं समाप्त होगी। सभी वाहनों को मांग पर सबसे पहले डी/ओ एपीडा के डीलिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा। रविवार या अवकाश के दिनों को छोड़कर वहीं मीटर रीडिंग नोट की जाएगी और फिर टैक्सी गंतव्य के लिए रवाना होगी। रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों पर वाहन सीधे निर्दिष्ट व्यक्ति को रिपोर्ट कर सकता है जहां उपयोगकर्ता से गैरेज/टैक्सी स्टैंड तक की मीटर रीडिंग नोट की जानी चाहिए।

8.13 कभी-कभी एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई को किसी सम्मेलन/बैठक से संबंधित विशिष्ट दिनों में अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता हो सकती है। अतिरिक्त टैक्सी ऑपरेटरों की व्यवस्था करने के लिए अनुबंधकर्ता जिम्मेदार होंगे और ऐसे अतिरिक्त वाहनों की आपूर्ति संविदात्मक दरों और शर्तों पर की जाएगी।

8.14 अनुबंध मिलने की तिथि से एक वर्ष के लिए अनुबंध मान्य होगा और पक्षों की आपसी सहमति से इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। टैक्सियों की आपूर्ति के लिए अनुमोदित दरों में वृद्धि के किसी भी अनुरोध पर संपर्क की अवधि के दौरान किसी भी अन्य कारणों से विचार नहीं किया जाएगा।

8.15 यदि किसी भी अवसर पर यह पाया जाता है कि किसी भी वाहन के ड्राइवर ने ड्यूटी/यात्रा के प्रारंभ या समापन के समय और किलोमीटर रीडिंग से संबंधित ड्यूटी परिचियों में गलत प्रविष्टियों की हैं तो उसके लिए अनुबंधकर्ता उत्तरदायी होगा। कार्यालय ऐसे वाहन के संबंध में दिन का पूरा भुगतान रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.16 प्रत्येक वाहन के लिए, ड्राइवर द्वारा एक लॉग-बुक बनाए रखना आवश्यक है, अर्थात् सुबह से दिन के दौरान की गई अंतिम ड्यूटी तक विभिन्न यात्रा का विवरण अलग से बनाए रखा जाए और सभी प्रविष्टियों को उपयोगकर्ताओं से सत्यापित किया जाए। प्रत्येक माह में बिल जमा करते समय सत्यापन के लिए लॉग बुक एपीडा को प्रस्तुत करनी होगी।

8.17 टैक्सियों को किराए पर लेने के मामले में, 50 कि.मी. या 5 घंटे को आधा दिन माना जाएगा। यदि वाहन को पांच घंटे से अधिक समय तक रोका जाता है, तो इसे पूरा दिन माना जाएगा। ऐसे परिदृश्य में, 'कि.मी.' की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि उपयोग 5 घंटे के भीतर 50 कि.मी. से अधिक हो जाता है, तो शुल्क केवल प्रत्येक अतिरिक्त कि.मी. के लिए होगा और वाहन को 'आधे दिन' का उपयोग माना जाएगा। यदि घंटों की संख्या 5 घंटे से अधिक हो जाती है, तो वाहन को 'पूरे दिन' के लिए किराए पर लिया माना जाएगा। तब 'कि.मी.' के प्रयोग की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

8.18 इस निविदा दस्तावेज़ को एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

8.19 निविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में एपीडा के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8.20 यदि कोई बोलीदाता बोली की शर्तों, बोली प्रक्रिया से सहमत नहीं है, तो वह इसके लिए लिखित रूप में कारण बता सकता है। यदि किसी बोली को अस्वीकार कर दिया जाता है तो बोलीदाताओं को अपनी बोलियों को अस्वीकार होने करने के कारणों की मांग करने का भी अधिकार होगा।

8.21 निविदा के प्रत्येक पृष्ठ की पृष्ठ संख्या: [बोली और सभी दस्तावेजों की उचित पृष्ठ संख्या एक बंध के रूप में की जानी चाहिए]। दस्तावेजों की इंडेक्सिंग भी उचित रूप से की जानी चाहिए।

8.22 अंतिम अनुबंध प्रदान करने से पहले, एपीडा के अधिकारियों द्वारा सभी वाहनों की स्थिति और वाहनों के दस्तावेज का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।

आर रवींद्र
उप महाप्रबंधक
एवं क्षेत्रीय प्रमुख
एपीडा, न्यू मुम्बई 400705

दिनांक:- 20 जुलाई 2022

क्र. सं.	पात्रता मानदंड का विवरण	फर्म/कंपनी द्वारा भरा गया विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संगठन/कंपनी का नाम (अधिकृत व्यक्ति द्वारा मुहरबंद और विधिवत स्वप्रमाणित प्रस्तुत किए जाने वाले पंजीकरण दस्तावेज।		
2.	मालिक/साझेदारों का नाम।		
3.	पिन कोड नंबर के साथ पूरा पत्राचार पता		
4.	कंपनी/फर्म/बोलीदाता के नाम पर कम से कम 05 (पांच) टैक्सी/कार का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)। न्यूनतम 05 (पांच) टैक्सियां अनिवार्य हैं। सभी आरसी की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। हालांकि, वेंडर को समय-समय पर एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुम्बई, महाराष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में टैक्सियां उपलब्ध कराने के लिए सक्षम होना चाहिए।		
5.	सम्पर्क विवरण: टेलीफोन नंबर ईमेल पता मोबाइल नंबर		
6.	फर्म की कंपनी प्रोफाइल/ (फर्म/कंपनी द्वारा की जा रही प्रासंगिक गतिविधियों के क्षेत्र में एक आलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म इस संबंध में कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज भी जमा करना चाहेगी।		
7.	ग्राहकों की सूची संपर्क विवरण के साथ केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/कॉर्पोरेट कार्यालयों के ग्राहकों की सूची प्रस्तुत की जा सकती है।		
8.	बैंकर का विवरण [बैंक का नाम/शाखा का पता/खाताधारक का नाम/खाता संख्या/सीए या एसबी बैंक खाता/आईएफएससी कोड संख्या] एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए कार्य के लिए पैनल में शामिल होने के बाद आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए।		
9.	गैर-ब्लैक लिस्टिंग का स्व प्रमाणपत्र [संगठन/कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन कि इसे किसी भी सरकारी संगठन/विभाग द्वारा कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है]		

10.	<p>फर्म का पंजीकरण</p> <p>कम से कम 5 साल पुरानी फर्म। पंजीकरण प्रमाण पत्र/पैन/कोई अन्य सरकारी दस्तावेजी प्रमाण की प्रति अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत स्वप्रमाणित और मुहर लगाई जानी चाहिए।</p>		
11.	<p>जीएसटी पंजीकरण</p> <p>[जीएसटी प्रमाण पत्र की असल प्रति अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत स्व प्रमाणित और मुहर लगाई जानी चाहिए।]</p>		
12.	<p>आयकर विभाग द्वारा जारी पैन</p> <p>पैन की प्रति विधिवत स्वप्रमाणित और मुहर लगाई जानी चाहिए।</p>		
13.	<p>आयकर रिटर्न (आईटीआर)</p> <p>एजेंसी को पिछले तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की विधिवत स्वप्रमाणित और मुहर लगाई गई प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।</p>	<p>2019-20 रु.</p> <p>2020-21 रु.</p> <p>2021-22 रु.</p>	
14.	<p>पिछले 03 वर्षों से फर्म का टर्नओवर।</p> <ul style="list-style-type: none"> • न्यूनतम टर्नओवर 15.00 लाख रुपये प्रति वर्ष होना चाहिए। • मान्यता-प्राप्त सीए से तुलन-पत्र और सीए प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियों को फर्म के पिछले तीन वर्षों के टर्न ओवर को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सीए प्रमाण पत्र मूल रूप में सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण होना चाहिए। 	<p>2019-20 रु.</p> <p>2020-21 रु.</p> <p>2021-22 रु.</p>	
15.	<p>संबंधित क्षेत्र/सेवा/क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्य अनुभव।</p> <ul style="list-style-type: none"> • फर्म के पास आवेदित संबंधित क्षेत्र/सेवा में न्यूनतम पांच वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। • केंद्र / राज्य सरकार / पीएसयू / कॉर्पोरेट कार्यालय / प्रतिष्ठित निजी कंपनियों आदि के विभिन्न कार्यालयों के कम से कम 05 (पांच) कार्य आदेश संलग्न करें। 		
16.	<p>नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में आहरित "एपीडा" के नाम पर बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा/पे ऑर्डर आदि के माध्यम से ब्याज रहित बयाना राशि 50,000 रु. (पचास हजार रुपये मात्र)। ईएमडी अनिवार्य है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • संख्या • दिनांक • रुपये • बैंक का नाम • शाखा 	
17.	<p>बोली के कवर पर निम्न लिखा जाना चाहिए:-</p> <p>1. मुहरबंद कवर संख्या एक - "तकनीकी बोली"</p>	अनिवार्य	

	<p>2. मुहरबंद कवर संख्या दो - "वित्तीय बोली"</p> <p>3. तकनीकी और वित्तीय बोलियों वाला मुहरबंद मास्टर कवर - "गैर-एसी/एसी टैक्सी की आपूर्ति के लिए बोली"।</p> <p>मास्टर कवर सहित तकनीकी और वित्तीय बोलियों के लिए बोली और उसके कवर को मुहरबंद किया जाना चाहिए और दिशानिर्देशों के अनुसार उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए।</p>		
--	--	--	--

घोषणा: यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी प्रमाणित और हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है। एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा बोली को रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है, यदि बाद में राज्य में किसी भी तरह से कोई सूचना या दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है। यह भी पुष्टि की जाती है कि एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र के इस निविदा दस्तावेज के सभी नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर)

पूर्ण कंपनी रबर मुहर के साथ फर्म का पूरा नाम

दिनांक:

वित्तीय बोली

अनुलग्नक-II

क्र. स.	विवरण	डिज़ायर/ /इटियोस/होंडा अमेज व समकक्ष कारें		टोयोटा इनोवा/करिस्टा महिंद्रा जाइलो/ व समकक्ष कारें	
		नॉन-एसी	एसी कार	नॉन-एसी	एसी कार
1	स्थानीय पूरे दिन की ड्यूटी 80 किमी और 08 घंटे।				
2	स्थानीय आधे दिन की ड्यूटी 50 किमी और 05 घंटे।				
3	बाहरी पूरे दिन की ड्यूटी [न्यूनतम 250 किमी] प्रभार। अतिरिक्त मूल पर टोल और राज्य कर।				
4	उपरोक्त 1, 2 और 3 के लिए स्थानीय ड्यूटी के लिए अतिरिक्त प्रति किमी प्रभार।				
5	उपरोक्त 1, 2 और 3 के लिए बाहरी शुल्क के लिए अतिरिक्त प्रति किमी प्रभार।				
6	उपरोक्त 1, 2 और 3 के लिए अतिरिक्त घंटों के लिए प्रति घंटे की दरें।				
7	स्थानीय ड्यूटी के लिए ड्राइवर के लिए रात्रि प्रभार				
8	बाहरी ड्यूटी के लिए ड्राइवर के लिए रात्रि प्रभार				
9	जीएसटी/करों का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए।				

घोषणा: यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी प्रमाणित और हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है। एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा बोली को रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है, यदि बाद में राज्य में किसी भी तरह से कोई सूचना या दस्तावेज फर्जी/गलत पाया जाता है। यह भी पुष्टि की जाती है कि एपीडा, क्षेत्रीय कार्यालय नवी मुम्बई, महाराष्ट्र के इस निविदा दस्तावेज के सभी नियम और शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

पूर्ण कंपनी रबर मुहर के साथ फर्म का पूरा नाम

दिनांक:

अनुलग्नक 1

एपीडा के लिए एसी/गैर एसी टैक्सी सेवाएं किराए पर लेने के लिए एजेंसी के पैनल के लिए आवेदन प्रपत्र

1.	संगठन का नाम	
2.	पत्राचार का पता	
3.	संपर्क व्यक्ति	
4.	संपर्क विवरण टेलीफोन नं. फैक्स नं. सेल नं. ईमेल:	
5.	एजेंसी की प्रोफाइल	
6.	पेट्रोल पर ड्राइवरों का विवरण	
7.	खंड 7.1 के अनुसार अनुभव (वर्षों की संख्या)	
8.	वाहनों की संख्या (वाहनों का स्वामित्व)	
9.	आवेदक बोलीदाता के पिछले 3 वित्तीय वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 व 2021-22 के टर्नओवर को प्रमाणित करने वाला सीए प्रमाण-पत्र। टर्नओवर केवल आवेदक संगठन के नाम पर होना चाहिए न कि समूह / सहयोगी संगठनों के नाम पर।	
10.	पिछले 3 वर्षों के नवीनतम आयकर रिटर्न की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी।	
11.	स्थायी खाता संख्या (स्व प्रमाणित प्रति)	
12.	जीएसटी नंबर (स्व प्रमाणित प्रति)	
13.	टिन नंबर (स्व प्रमाणित प्रति)	
14.	टैन नंबर (स्व प्रमाणित प्रति)	
15.	ग्राहकों की सूची	
16.	एक स्व प्रमाणित उपक्रम प्रस्तुत करना होगा जिसमें- उल्लेख किया गया हो कि फर्म को किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है व उक्त आज की तारीख में लागू नहीं है।	
17.	बयाना राशि (50,000/- रु.)	रु. दिनांक डीडी. सं.
18.	परिवहन कंपनी/फर्म के नाम से पंजीकृत सभी वाहनों की आरसी की प्रतियां	
19.	अन्य प्रासंगिक विवरण	
20.	संलग्नकों की सूची	

मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है और इसमें कुछ भी संशोधित नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो संगठन ने और न ही संगठन के किसी भी अधिकारी ने अनैतिक आचरण का सहारा लिया है और न ही किसी जांच/सतर्कता एजेंसियों/अदालतों का सहारा लिया है।

हस्ताक्षर

नाम

कंपनी मुहर से साथ पद

दिनांक--/--/----

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 03 अगस्त 2022 सायं 4:00 बजे तक